

सीमा-पार भुगतान

प्रलमिस् के लयिः

[वत्तित्तीय स्थरिता बोरड](#), [UPI-पेनाउ](#), [सेंटरल बैंक डजिटल करेंसी](#), [अनवासी भारतीय](#), [नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर](#), [भारतीय रज़िरव बैंक](#), [भुगतान एग्रीगेटरस](#), [प्रोजेक्ट नेक्सस](#)

मेन्स के लयिः

वैश्वकि व्यापार में सीमा-पार भुगतान और चुनौतियॉं, वैश्वकि सीमा-पार भुगतान प्रणालियॉं में भारत की भूमकि

[स्रोतः द हट्टि](#)

चर्चा में क्यॉं

हाल ही में [वत्तित्तीय स्थरिता बोरड](#) (Financial Stability Board- FSB) ने सीमा-पार भुगतान (Cross-Border Payments- CBP) प्रणालियॉं में अकुशलताओं को दूर करने की तत्काल आवश्यकता पर ज़ोर दयिा है । वैश्वकि सीमा-पार भुगतान बाज़ार वरष 2032 तक लगभग दोगुना होने वाला है, इसलयि इन प्रणालियॉं में सुधार करना एक महत्त्वपूरण केंद्र बन गया है ।

सीमा-पार भुगतान क्या है?

- **परचियः** CBP ऐसे लेनदेन हैं जनिमें **भुगतानकरतता और प्रापतकरतता अलग-अलग देशों में स्थति होते हैं** । ये लेनदेन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, नविश और व्यक्तगित हस्तांतरण के लयि महत्त्वपूरण हैं ।
- **प्रकार**
 - **थोक सीमा-पार भुगतानः** यह आमतौर पर वत्तित्तीय संस्थानों के बीच, उधार लेने, देने और वदिशी मुद्रा, इक्वटी और वस्तुओं में व्यापार जैसी गतविधियॉं के लयि उपयोग कयिा जाता है ।
 - इसका उपयोग **सरकारों और बडी कंपनियॉं द्वारा** आयात, नरियात और वत्तित्तीय बाज़ारों से संबंधति महत्त्वपूरण लेनदेन के लयि भी कयिा जाता है ।
 - **खुदरा सीमा-पार भुगतानः** इसमें आमतौर पर व्यक्त और व्यवसाय शामिल होते हैं, जसिमें व्यक्त-से-व्यक्त (P2P), व्यक्त-से-व्यवसाय (P2B) और व्यवसाय-से-व्यवसाय (B2B) लेनदेन शामिल हैं ।
 - इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण **धनप्रवेशण** है, जसिमें प्रवासी अपने देश को धन भेजते हैं ।
- **महत्त्वः** वैश्वकि CBP बाज़ार, जसिका मूल्य वरष **2022 में 181.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है, वरष 2032 तक 356.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान** है, जो वार्षकि 7.3% की वृद्धि दर को दर्शाता है । यह वृद्धि वैश्वकि आर्थकि गतविधियॉं और वत्तित्तीय अंतःकरयिओं के वसितार को दर्शाती है ।
 - आपूरत शृंखला, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और **ई-कॉमर्स** के **वैश्वीकरण** के कारण आर्थकि गतविधियॉं को समर्थन देने के लयि कुशल सीमा-पार भुगतान आवश्यक हो गया है ।
- **कार्य पद्धतिः**
 - **CBP के पारंपरिक मॉडलः**
 - **प्रत्यक्ष बैंक हस्तांतरणः** अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण की सुवधि के लयि बैंक अन्य देशों में अपने समकक्षों के साथ खाते रखते हैं ।
 - भौतिक रूप से धन हस्तांतरति करने के बजाय, वभिनिन अधिकार क्षेत्रों में खातों के बीच धनराशिजमा और नकिली की जाती है ।
 - **संवाददाता बैंकिगः** जब दो बैंकों के बीच सीधा संबंध नहीं होता है, तो वे लेनदेन को सुवधिजनक बनाने के लयि एक **संवाददाता बैंक का उपयोग करते हैं, जसिके खाते दोनों बैंकों के पास होते हैं** । इससे लेनदेन शृंखला में कई परतें जुड़ जाती हैं । कति उच्च लागत और वनियामक बोझ के कारण इसमें गरिवट आ रही है ।
 - **एकल प्रणाली मॉडलः** यह मॉडल एकल भुगतान सेवा प्रदाता पर नरिभर करता है, लेकिन इसमें अंतर-संचालन संबंधी समस्याएँ होती हैं ।

- **भुगतान अवसंरचनाओं को आपस में जोड़ना:** नरिबाध लेनदेन के लिये **राष्ट्रीय प्रणालियों को जोड़ना** है, लेकिन इसमें तकनीकी और नयामक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- **पीयर-टू-पीयर प्रणालियाँ:** प्रत्यक्ष भुगतान के लिये **वतिरति खाता बही जैसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग** करती हैं, जो पारंपरिक अकुशलताओं के लिये एक संभावित समाधान प्रदान करती हैं।
- **नये युग के मॉडल:**
 - **तीवर भुगतान प्रणालियों (FPS) को जोड़ना:** सगिपुर और थाईलैंड के बीच पेनाउ-प्रॉम्पटपे लक्रेज तथा **भारत एवं सगिपुर के बीच UPI-PayNow लक्रेज** जैसी पहल वास्तविक समय में सीमा-पार नधिहस्तांतरण की सुविधा प्रदान करती हैं।
 - **सेंटरल बैंक डजिटल करेंसी (Central Bank Digital Currencies- CBDC):** अंतरराष्ट्रीय लेनदेन को सुव्यवस्थित करने की क्षमता के लिये CBDC की खोज की जा रही है।
 - **वतिरति खाता प्रौद्योगिकी (DLT):** DLT परयोजनाएँ, जनिहें अकसर CBDC के साथ जोड़ा जाता है, का उद्देश्य लेनदेन की गति, सुरक्षा और लागत प्रभावशीलता को बढ़ाना होता है।
 - DLT एक नेटवर्क डेटाबेस में एक साथ पहुँच, सत्यापन और रकिॉर्ड अद्यतन करने की अनुमति देता है, जिससे उपयोगकर्त्ता परिवर्तन देख सकते हैं और यह भी जान सकते हैं कि परिवर्तन कसिने कयि हैं, डेटा का ऑडिट करने की आवश्यकता कम हो जाती है, डेटा की वशि्वसनीयता सुनिश्चित होती है और केवल उन लोगों को पहुँच प्रदान की जाती है, जनिहें इसकी आवश्यकता होती है।

सीमा-पार भुगतान प्रणालियों के संबंध में चुनौतियाँ क्या हैं?

- **कानूनी और वनियामक अनुपालन:** भुगतान को वभिनिन न्यायक्षेत्रों में अलग-अलग घरेलू कानूनों का पालन करना होता है, जिसमें **धन शोधन नविरण** (Anti-Money Laundering- AML), ग्राहक की उचित तत्परता, डेटा साझाकरण तथा नपिटान प्रक्रियाएँ शामिल हैं।
 - AML और **आतंकवाद-रोधी वतित्तपोषण** (Counter-Terrorist Financing- CFT) ढाँचे के खंडित कार्यान्वयन से तंत्र डजिाइन और कार्यक्षमता में संघर्ष पैदा होता है।
 - **वतितीय सथरिता बोर्ड (FSB) की 2023 रिपोर्ट** में असंगत वायर ट्रांसफर रकिॉर्डकीपगि के मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है, जो ग्राहक पहचान और प्रतबिंध स्क्रीनिग को प्रभावित करता है।
- **उच्च लागत:** सीमा-पार लेनदेन में **कई शुल्क शामिल** हो सकते हैं, जनिमें मध्यस्थ बैंकों के शुल्क और मुद्रा रूपांतरण लागत शामिल हैं।
 - लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिये **बैंकों को वभिनिन मुद्राओं में पूंजी रखने की आवश्यकता होती है**, जिससे संसाधन बाधित होते हैं और लागत बढ़ जाती है।
 - प्रचछन्न शुल्क और **अस्पष्ट लागत वविरण** के कारण उपयोगकर्त्ताओं के लिये सीमा-पार लेनदेन की सटीक लागत का नरिधारण करना कठिन हो सकता है।
- **कम गति:** कई मध्यस्थों की भागीदारी और टाइम ज़ोन के अंतर के कारण लेनदेन पूरा होने में **कई दिन लग सकते हैं**। भुगतान प्रणालियाँ वशिषकर स्थानीय व्यावसायिक घंटों (व्यावसाय के लिये नरिधारित अवधि) के दौरान संचालित होती हैं, जिससे वभिनिन समय क्षेत्रों में सीमा-पार भुगतान के प्रसंस्करण में देरी होती है।
 - भुगतान प्रणालियाँ वशिषकर स्थानीय व्यावसायिक घंटों (व्यावसाय के लिये नरिधारित अवधि) के दौरान संचालित होती हैं, जिससे वभिनिन समय क्षेत्रों में सीमा-पार भुगतान के प्रसंस्करण में देरी होती है।
- **सीमिति पहुँच:** सभी देशों या क्षेत्रों की कुशल सीमा-पार भुगतान प्रणालियाँ तक पहुँच नहीं है, वशिष रूप से अल्प वकिसति या अल्पसेवित क्षेत्रों में।
 - **बैंकगि सेवाओं या आधुनिक वतितीय प्रौद्योगिकियों तक सीमिति पहुँच व्यक्तियों और व्यवसायों की सीमा-पार भुगतान करने या प्राप्त करने की क्षमता में बाधा उत्पन्न कर सकती है।**
- **कम गति:** कई मध्यस्थों की भागीदारी और टाइम ज़ोन के अंतर के कारण लेनदेन पूरा होने में कई दिन लग सकते हैं।
- **खंडित डेटा प्रारूप:** वभिनिन देशों व प्रणालियों के बीच डेटा प्रारूपों एवं मानकों में भनिनता के कारण भुगतान प्रक्रिया में देरी और त्रुटियाँ हो सकती हैं।
 - वभिनिन अधिकार क्षेत्रों में डेटा की गुणवत्ता और आवश्यकताओं में अंतर लेनदेन की सटीकता एवं दक्षता को प्रभावित कर सकता है।
- **प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म:** कई सीमा-पार भुगतान प्रणालियाँ पुरानी प्रौद्योगिकी पर नरिभर हैं, जो वास्तविक समय प्रसंस्करण या आधुनिक प्रणालियों के साथ एकीकरण हेतु अनुकूलित नहीं है।
 - पुराने प्लेटफॉर्मों में स्वचालन और वास्तविक समय नगिरानी के लिये उन्नत सुविधाओं का अभाव हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप अकुशलताएँ उत्पन्न हो सकती हैं।
- **लंबी लेनदेन शृंखला:** भुगतान शृंखला में कई संवाददाता बैंकों की भागीदारी से लागत, देरी और डेटा से छेड़छाड़ का जोखिम बढ़ सकता है।
 - लंबी लेनदेन शृंखलाएँ भुगतान प्रक्रिया को जटिल बना देती हैं और प्रबंधन हेतु अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है।
- **कमज़ोर प्रतसिपर्द्धा:** नए प्रदाताओं के लिये प्रवेश में उच्च बाधाएँ सीमा-पार भुगतान बाज़ार में प्रतसिपर्द्धा और नवाचार को सीमिति कर सकती हैं।

- लागतों का आकलन और तुलना करने में कठिनाई से प्रतस्पर्धी प्रभाव कम हो सकता है तथा अंतमि उपयोगकर्त्ताओं के लिये कीमतें बढ़ सकती हैं।

भारत में सीमा-पार भुगतान

- भारत वैश्विक धन प्रेषण का एक प्रमुख केंद्र है, जो पर्याप्त सीमा-पार भुगतान प्रवाह को संभालता है, जिसमें लगभग 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आवक धन प्रेषण और 19 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बाह्य धन प्रेषण शामिल है।
- **सीमा-पार प्रेषण में विकास:**
 - **प्रौद्योगिकी-पूरव युग:** प्रौद्योगिकीय प्रगति से पहले, **अनविासी भारतीय (NRI)** फेडरल बैंक द्वारा जारी डमिंड ड्राफ्ट का उपयोग करते थे, जिसे भुनाने/नकदीकरण के लिये कूरयिर के माध्यम से भेजा जाता था।
 - **ऑनलाइन प्रेषण:** 2000 के दशक के मध्य में **नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT)** शुरू किया गया तथा भारत में खातों में सीधे और सुरक्षित स्थानान्तरण की अनुमति दी गई।
 - NEFT एक राष्ट्रव्यापी केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली है, जिसका स्वामतिव और संचालन **भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI)** के पास है।
 - **IMPS एकीकरण:** NPCI द्वारा **तत्काल भुगतान सेवा (IMPS)** के शुरू होने से 3 मिनट से कम समय में क्रेडिट पूरा किया जा सकेगा, जिससे दक्षता में और वृद्धि होगी
 - **वदिशी आवक धन-प्रेषण के लिये UPI: वदिशी आवक धन-प्रेषण (FIR)** के लिये **एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI)** के एकीकरण से धन प्रेषण प्रकरिया सरल और नवीन हो गई है।
- **नियामक परिवर्तन:** **RBI** ने आयात और नरियात लेनदेन सहति सीमा-पार भुगतान को सुव्यवस्थति और वनियमति करने के लिये **सीमा-पार लेनदेन के भुगतान एग्रीगेटर्स (PA-CB वनियमन)** की शुरुआत की।
- यह नया फ्रेमवर्क पछिले दशानरिदेशों का स्थान लेता है और सीमा-पार भुगतान में शामिल सभी संस्थाओं को RBI की प्रत्यक्ष नगिरानी के अधीन करता है

सीमा-पार भुगतान में सुधार हेतु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या किया जा रहा है?

- **G-20: G-20** ने लागत कम करने, गति और पारदर्शति बढ़ाने और समावेशति को बढ़ावा देने के लिये **सीमा-पार भुगतान में सुधार को प्राथमकतिता दी है।**
 - **वत्तीय स्थरिता बोर्ड (FSB)** द्वारा नरिधारति 11 मातरात्मक लक्ष्यों द्वारा समर्थति सीमा-पार भुगतान को बढ़ाने के लिये वर्ष 2020 रोडमैप का लक्ष्य वर्ष 2027 के अंत तक वैश्विक स्तर पर इन चुनौतियों का समाधान करना है।
 - इन लक्ष्यों में थोक भुगतान, खुदरा भुगतान तथा धनप्रेषण में लेनदेन की गति, लागत, पहुँच और पारदर्शति शामिल हैं।
- **SWIFT GPI: सोसाइटी फॉर वरलडवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकमयुनिकेशन (SWIFT)** ने सीमा-पार भुगतान की गति और पारदर्शति बढ़ाने के लिये **ग्लोबल पेमेंट्स इनोवेशन (GPI)** की शुरुआत की।
 - यह भुगतानों की वास्तविक समय पर ट्रैकिंग की अनुमति देता है और यह सुनिश्चित करता है कि धनराशि एक दिन के भीतर स्थानान्तरति हो जाए।
- **प्रोजेक्ट नेक्सस:** इसकी संकल्पना **बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS)** के **इनोवेशन हब** द्वारा की गई है। **प्रोजेक्ट नेक्सस** एक वैश्विक पहल है, जिसे कई घरेलू स्तर की **त्वरति भुगतान प्रणालियों (IPS)** को एकीकृत करके सीमा-पार भुगतान को सुगम बनाने हेतु डिजाइन किया गया है।
 - इस परियोजना का उद्देश्य एक ऐसा मानकीकृत प्लेटफॉर्म वकिसति करना है, जो घरेलू **फास्ट पेमेंट सिस्टम (FPS)** को विश्व की अन्य भुगतान प्रणालियों से जोड़े, जिससे सीमा-पार तत्काल भुगतान संभव हो सके।
 - प्रोजेक्ट नेक्सस के संस्थापक सदस्यों में भारत और **दक्षिण-पूरवी एशियाई राष्ट्र संघ (ASEAN)** के चार देश- मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड शामिल हैं।
- **वैश्विक भुगतान सेवा प्रदाता: वीज़ा और मास्टरकार्ड** नवीन प्रौद्योगिकियों की सहायता से सीमा-पार भुगतान को उन्नत बना रहे हैं।
 - **वीज़ा का B2B कनेक्ट**, बैंकों के बीच बड़ी राशि के लेनदेन का उसी दिन या अगले दिन निपटान करने हेतु **एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (API)** और DLT का उपयोग करता है तथा भुगतान संदेश को सुरक्षा सुवधियों के साथ एकीकृत करता है।

वत्तीय स्थरिता बोर्ड

- FSB एक अंतरराष्ट्रीय नकिया है, जो वैश्विक वत्तीय प्रणाली की नगिरानी और संबंधति अनुशंसाएँ करता है। इसकी स्थापना वर्ष 2009 में G20 पटिसबर्ग शखिर सम्मेलन में **वत्तीय स्थरिता मंच (Financial Stability Forum- FSF)** के परवर्ती के रूप में की गई थी।
- FSB की सदस्यता में **FSF सदस्यों के साथ-साथ** G20 देश, स्पेन और यूरोपीय आयोग भी शामिल हैं।
- FSB वैश्विक वत्तीय प्रणाली में प्रणालीगत भेद्यताओं की पहचान और उनका आकलन करता है।
 - इससे अंतरराष्ट्रीय वत्तीय प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु जारी प्रयासों को बल मलैगा।
- **भारत FSB का सक्रिय सदस्य** है, जिसकी पूरण स्तर में तीन सीटें हैं, जिनकी अध्यक्षता सचवि (आर्थिक कार्य), डिप्टी गवर्नर-RBI और चेरमैन-**भारतीय प्रतभित्ति एवं वनियमि बोर्ड (SEBI)** करते हैं।
- आर्थिक कार्य के वभिाग में **वत्तीय स्थरिता और विकास परषिद सचविालय**, FSB के समक्ष भारत के मतों को प्रस्तुत करने के लिये वत्तीय क्षेत्तर के वनियामकों एवं अभकिरणों के साथ समन्वय करता है।

आगे की राह

- **वित्तीय अखंडता और गोपनीयता का संतुलन:** ऐसे वधिकि ढाँचे स्थापति करने की आवश्यकता है, जो **AML और CFT आवश्यकताओं** के साथ प्रयोगकर्त्ता की गोपनीयता को सुसंगत बनाते हों।
 - व्यवधानों और अक्षमताओं की रोकथाम करने हेतु सभी स्तरों पर वनियामक स्थरिता लाने की आवश्यकता है।
 - अनुपालन को सुव्यवस्थति करने के लिये सीमा-पार भुगतान में सभी हतिधारकों की भूमिकाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषति कया जाना चाहयि। लघु स्तर के लेनदेन के लिये अनुपालन आवश्यकताओं को कम करने हेतु सीमाएँ स्थापति करना चाहयि जसिसे व्यवसायों पर बोझ कम हो।
 - गोपनीयता संबंधी चतिाओं का समाधान करने और उनकी सुरक्षा के लिये गोपनीयता आधारति सदिधातों को क्रयान्वति करने की आवश्यकता है।
- **KYC की उपयोगतिाओं का अन्वेषण:** पहचान सत्यापन को मानकीकृत और सुव्यवस्थति करने के लिये **अपने गराहक को जानें (Know Your Customer- KYC)** सुवधिाओं को वकिसति एवं एकीकृत करने की आवश्यकता है।
 - वभिनिन भुगतान प्रणालयिों के बीच तकनीकी एकीकरण और अंतर-संचालन को बढ़ावा देना चाहयि। शुल्क, शर्तों और शकियत नविवरण तंत्र के बारे में पारदर्शतिा सुनश्चिति करना आवश्यक है।
- **वविाद समाधान ढाँचे का वकिस:** प्रयोगकर्त्ता की शकियतों और अंतर-प्रदाता वविादों का प्रबंधन करने के लिये एक केंद्रीकृत प्रणाली वकिसति करना आवश्यक है। **भुगतान सेवा प्रदाताओं (PSP)** के बीच संघर्षों को हल करने के लिये स्पष्ट प्रकरयिाएँ स्थापति करने की आवश्यकता है।
- **केंद्रीय बैंक के साथ सहयोग:** केंद्रीय बैंकों को अंतर-संचालनीय भुगतान प्रणालयिों के वकिस पर सहयोग करने और सीमा-पार भुगतान के लिये CBDC की क्षमताओं का अन्वेषण करने के लिये प्रोत्साहति करने की आवश्यकता है।
- **प्रतसिपर्द्धा:** लागत कम करने और गुणवत्ता में सुधार करने के लिये नजीी क्षेत्र को शामिल करके भुगतान सेवा प्रदाताओं के बीच प्रतसिपर्द्धा को बढ़ावा देना चाहयि।

?????? ???? ???? ??:

प्रश्न. वैश्वकि व्यापार को सुकर बनाने में सीमा-पार भुगतान के महत्त्व की वविचना कीजयि। वर्तमान सीमा-पार भुगतान प्रणालयिों से संबंधति प्रमुख चुनौतयिों क्या हैं?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????????:

प्रश्न. 'वत्तितीय स्थरिता और वकिस परषिद' (Financial Stability and Development Council) के संदर्भ में नमििनलखिति कथनों पर वचिार कीजयि: (2016)

1. यह नीतिआयोग का एक अंग है।
2. संघ का वत्ति मंत्री इसका प्रमुख होता है।
3. यह अर्थव्यवस्था के समष्टि सवविक (मेक्रो-प्रूडेंशयिल) पर्यवेक्षण का अनुवीक्षण (मॉनटिरगि) करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 3
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)